**राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर**

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 6155/2012

अभिषेक सोनी पुत्र श्री गोपाल सोनी, आयु लगभग 28 वर्ष, जाति सोनी, निवासी 16-ए, सेक्टर-2, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से राजस्थान राज्य।
2. जिला कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) और जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (ई. जी. एस.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला भीलवाड़ा।
4. कार्यक्रम अधिकारी (ई. जी. एस.) सह विकास अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन. आर. ई. जी. एस.), पंचायत समिति, हुरदा, जिला भीलवाड़ा।
5. ए. ई.एन., उपखंड जल संसाधन, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा।

----उत्तरदाता

---

याचिकाकर्ता (गण) के लिए : श्री आर. के. भारद्वाज

उत्तरदाता(गण) के लिए : कोई उपस्थित नहीं

---

**माननीय श्री न्यायाधीश अरुण मोंगा**

**<u>आदेश</u>** (मौखिक)

**<u>05/01/2024</u>**

1. याचिकाकर्ता इसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिनांकित 11.05.12 (अनुलग्नक-16) के आक्षेपित आदेश को रद्द करने की मांग करता है, जिसके

तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ रु 3,14,974/- की वसूली का  निर्देश दिया गया था, जिसके अनुसार 23.03.12 (अनुलग्नक-15) दिनांकित वसूली नोटिस जारी किया गया था और आदेश दिनांक 19.08.11 (अनुलग्नक-10) जारी किया गया था, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 2 ने भविष्य में राज्य सरकार के तहत किसी भी संविदात्मक नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था।

2.  पहले स्पष्ट तथ्य।

2.1. याचिकाकर्ता को 22 अक्टूबर, 2008 को प्रतिवादी संख्या 4 के अधीन तकनीकी सहायक के रूप में अनुबंध के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, उनकी संविदात्मक सेवाओं का विस्तार किया गया।

2.2. याचिकाकर्ता ने अपने रोजगार समझौते की शर्तों के अनुसार एक महीने का नोटिस देते हुए 21 नवंबर, 2009 को अपना इस्तीफा पत्र प्रस्तुत किया। हालाँकि, याचिकाकर्ता को उनके इस्तीफे के बाद रिलीव नहीं किया और उन्होंने 13 जनवरी, 2010 को एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया।

2.3. ग्राम पंचायत, तस्वरिया तहसील हुर्दा के पूर्व सरपंच के खिलाफ 24 जनवरी, 2011 को गाँव हरिपुरा के ग्रामीणों द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, राजस्थान राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रतिवादी संख्या 2 ने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को मामले को देखने और सहायक अभियंता (जल संसाधन) की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

2.4. सहायक अभियंता, उप-मंडल जल संसाधन, गुलाबपुरा ने 18 फरवरी, 2011 को अपनी जांच रिपोर्ट उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एस. डी. एम.), गुलाबपुरा को सौंप दी। विशेष रूप से, याचिकाकर्ता को जांच में शामिल नहीं किया गया था, उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, और रिपोर्ट ग्राम सचिव, रोजगार सहायक और पूर्व ग्राम सचिव की गवाही पर आधारित थी, बिना उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए।

2.5. उपरोक्त आधार पर, जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता को 13 मई, 2011 को एक कारण बताए जाने का नोटिस जारी किया।

2.6. याचिकाकर्ता ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए और व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध करते हुए विशिष्ट विवरण के साथ नोटिस का जवाब दिया, जबकि जांच रिपोर्ट की एक प्रति की भी मांग की। अपने बचाव में, याचिकाकर्ता अन्य बातों के साथ साथ किए गए मापों पर असंतोष व्यक्त किया, एक अन्य तकनीकी सहायक द्वारा किए गए काम के लिए जिम्मेदारी से इनकार किया, कार्य आवश्यकताओं में 30 प्रतिशत की छूट की अनुपस्थिति में, बजरी का भुगतान न करने और सीमेंट प्लास्टर और कॉपिंग के माप में विसंगतियों पर प्रकाश डाला।

2.7. इसके बावजूद, याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार नहीं किया गया, सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया और उसके द्वारा अनुरोध किए गए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। दूसरी ओर, 4 अगस्त, 2011 को याचिकाकर्ता को पूर्व सरपंच और ग्राम सचिव के साथ एक मांग नोटिस भेजा गया था, जिसमें रुपये 3,15,641/- की राशि की मांग की गई थी।

2.8. 19 अगस्त, 2011 को जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रतिवादी संख्या 2 ने एक दंडात्मक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता को राज्य सरकार के तहत भविष्य में संविदात्मक नियुक्तियों के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।याचिकाकर्ता के 25 मार्च, 2011 के जवाब को ध्यान में नहीं रखा गया था।

2.9. 4 अगस्त, 2011 के मांग नोटिस के जवाब में, याचिकाकर्ता ने एक बार फिर सभी आरोपों से इनकार किया, विशिष्ट विवरण प्रदान किए, और अपनी उपस्थिति में ताजा माप के साथ व्यक्तिगत सुनवाई और जांच रिपोर्ट की एक प्रति का अनुरोध किया।

2.10. याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ भीलवाड़ा जिले के पी. एस. गुलाबपुरा में भा.दं.सं. की धारा 409 और 120-बी के तहत 1 अक्टूबर, 2011 को एक एफ. आई. आर. संख्या 246 भी दर्ज किया गया था।

2.11. बजरी सड़कों की खराब गुणवत्ता के बारे में 3 नवंबर, 2011 को एक आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी किया गया था।एक बार फिर, याचिकाकर्ता ने 22 दिसंबर, 2011 को एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अपनी शिकायतों के निवारण की मांग की गई और सुनवाई और एक नई जांच के अवसर का अनुरोध किया गया।

2.12. हालाँकि, जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रतिवादी संख्या 2 ने 23 मार्च, 2012 को एक आदेश जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता से रु 3,14,974/- वसूलने हैं। आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता की मांग के बावजूद सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर केवल अन्य यानी हरदेव जाट और हीरालाल माली को दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता को नहीं।

2.13. 11 मई, 2012 को, प्रतिवादी संख्या 4, कार्यक्रम अधिकारी-सह-विकास अधिकारी ने याचिकाकर्ता से 3,14,974/- रुपये की वसूली के लिए एक आदेश जारी किया, यह भी प्रस्ताव करते हुए कि याचिकाकर्ता को किसी भी परियोजना या कार्यक्रम में अनुबंध के आधार पर राजस्थान में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

2.14. इसलिए तत्काल याचिका।

3. सर्विस के बावजूद कोई भी प्रतिवादी के लिए उपस्थित नहीं होता है।

4. दलीलें सुनी गईं।

5. 14.06.2012 दिनांकित एक अंतरिम आदेश द्वारा इस न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पर रोक लगा दी थी। अंतरिम सुरक्षा बनी हुई है।

6. यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने अनुबंध पर लगभग दो साल तक काम किया था और उसके बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया था। आक्षेपित आदेश उनके इस्तीफे के दो साल से अधिक समय के बाद 23.03.2012 (अनुलग्नक-15) पर पारित किया गया था (रिकॉर्ड नहीं दर्शाता है कि आक्षेपित आदेश की तारीख को वह सेवा में थे या नहीं)। आदेश के अवलोकन और जिस तरीके से इसे पारित किया गया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता को वास्तविक दोषियों/अपराधियों को बचाने के लिए बलि का बकरा बनाया गया है। यह ये भी स्पष्ट करता है कि जिस कार्य को निष्पादित किया गया था, जिसके लिए वसूली की जानी चाहिए, वह न तो याचिकाकर्ता को आवंटित किया गया था और न ही वह भुगतान के वितरण के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार था। अन्यथा भी, याचिकाकर्ता केवल कनिष्ठ तकनीकी सहायक के रूप में काम कर रहा था और न तो उसके पास किसी भी प्रकार का कोई पर्यवेक्षी या प्रबंधन नियंत्रण था ताकि उस पर जिम्मेदारी तय की जा सके।

7. इसके अलावा, अभिलेख से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता को आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करके कोई अवसर नहीं दिया गया था।

8. अन्यथा भी, प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व न करना इस बात का संकेत है कि वे यहां अपने आक्षेपित आदेशों का बचाव करने में रुचि नहीं रखते हैं।

9. इस आधार पर, इस न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेशों के संचालन पर रोक लगाने के लिए 14.06.2012 को पारित अंतरिम आदेश को निरपेक्ष बना दिया गया है।

10. तदनुसार रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। हालाँकि, आवेदन दायर करके कार्यवाही को पुनर्जीवित करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, यदि प्रतिवादी यहाँ आक्षेपित आदेशों का बचाव करने में रुचि रखते हैं और/या याचिकाकर्ता को लंबित आपराधिक कार्यवाही में दोषी ठहराया जाता है, जैसा भी मामला हो।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

**(अरुण मोंगा), जे.**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।